

[नियम 215 सारणी क्र. सं. 1 देखें]

धारा 392 के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए अधिनियम की धारा 395 के अधीन प्रमाण पत्र या धारा 393(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की पेंशन या ब्याज आय [सारणी: क्रमांक 8(iii)]

भाग क

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन	
नियोक्ता/विनिर्दिष्ट बैंक का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देशकोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	नियोक्ता के साथ अवधि	(दिन/माह/वर्ष) को (दिन/माह/वर्ष)	
कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
10.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
11.	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख

कर्मचारी के संबंध में भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का सारांश					
तिमाही(याँ)	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि	कर कटौती की दर	कर कटौती की राशि	जमा/समायोजित कर की राशि
कुल					
I. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			

	(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	प्ररूप संख्या की रसीद संख्या 137	प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक 137	अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति 137
कुल					
II. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए और जमा किए गए कर का विवरण (कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान किए जाएंगे)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं,, (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)..... जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बही, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
- पते में: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित होगा।
- सरकारी करदाताओं को भाग ख की मद I में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और भाग क की मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।

4. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख की मद II में जानकारी भरनी होगी।
5. भाग ख में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगी।
6. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान केवल एक ही नियोक्ता के अधीन कार्यरत है, तो कर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जारी किए गए प्ररूप संख्या 130 में कर की सभी तिमाहियों के लिए काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण सम्मिलित होगा।
7. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता को प्रमाण पत्र का भाग क और भाग ख जारी करना होगा। (प्ररूप संख्या 130) यह उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए उक्त करदाता प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था।
8. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

कर्मचारियों के संबंध में कर कटौती के लिए धारा 392 के अधीन

पं क्ति सं ख्या	विवरण		
क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?	(हां नहीं)	
1.	सकल वेतन		
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन		
	(ख) धारा 17 के अधीन अनुलाभों का मूल्य (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(ग) धारा 18 के अधीन वेतन के बदले लाभ (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(घ) कुल		
	(ड) अन्य नियोक्ता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि की रिपोर्ट		
2.	धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त लोगों को दिए जाने वाले भत्ते		
	(क) धारा 11 के अंतर्गत यात्रा रियायत या सहायता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति की [तालिका: क्रमांक 8]		
	(ख) धारा 11 के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति का [तालिका: क्रमांक 11]		
	(ग) धारा 11 के अंतर्गत अन्य विशेष भत्ते, जो अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति के हों [तालिका: क्रमांक 12 और 13]		
	(घ) धारा 11 के अधीन किसी अन्य छूट की राशि		
	धारा ...		
	धारा ...		
	धारा ...		
	...		

	(ड)धारा 11 के अंतर्गत किसी अन्य छूट की कुल राशि		
	(च)धारा 11 [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(ड)] के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि		
3.	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वेतन की कुल राशि [1(d)-2(f)]		
4.	धारा 19(1) के अधीन कटौतियाँ		
	(क) धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]		
	(ख) धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]		
	(ग)धारा 19(1) के अधीन ग्रेच्युटी [तालिका: क्रमांक 3,4,5,6]		
	(घ)धारा 19(1) के अधीन पेंशन का परिपूरित मूल्य [तालिका: क्रमांक 7, 8, 9]		
	(ड)धारा 19(1) के अधीन कामगारों द्वारा प्राप्त मुआवजा [तालिका क्रमांक 10,11]		
	(च)धारा 19(1) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि [तालिका क्रमांक 12]		
	(छ)धारा 19(1) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण का नकद समतुल्य [तालिका: क्रमांक 13,14]		
5.	धारा 19(1) के अधीन कटौतियों की कुल राशि [4(क)+4(ख)+4(ग)+4(घ)+4(ड)+4(च)+4(च)]		
6.	"वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय [3+1(ई)-5]		
7.	कर्मचारी द्वारा धारा 392(4) के अनुसार रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय		
	(क)धारा 392(4)(क)(iv) के अनुसार "वेतन" के अलावा आय के किसी अन्य मद के अधीन प्रभार्य राशि		
	(ख) धारा 392(4)(क)(iii) के अधीन कर्मचारी द्वारा सूचित मकान संपत्ति से कोई हानि		
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल राशि [7(क)-7(ख)]		
9.	सकल कुल आय (6+8)		

10.	अध्याय VIII के अधीन कटौतियाँ					
			सकल राशि	कटौती योग्य राशि		
	(क) धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन योजनाओं आदि के अभिदाय के संबंध में कटौती					
	(ख) धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती					
	(ग) धारा 124(1)(क) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती					
	(घ) धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती					
	(ङ) धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती					
	(च) धारा 125 (1) के अधीन अग्निपथ योजना में कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती					
	(छ) धारा 125 (2) के अधीन अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती					
		सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि		
	(ज) धारा 133 के अधीन कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती					
	(झ) धारा 153 के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती					
	(ज) अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशियाँ					
	धारा ...					
	धारा ...					
	धारा ...					
	(ट) अध्याय VIII के किसी अन्य प्रावधान(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग					
11	अध्याय VIII के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का कुल योग [10(क) + 10(ख) + 10(ग) + 10(घ) + 10(ङ.) + 10(च) + 10(छ) + 10(ज) + 10(झ) + 10(ज)]					

12.	कुल कर योग्य आय (9-11)	
13.	कुल आय पर कर	
14.	धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो	
15.	जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क	
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%	
17.	देय कर (13+15+16-14)	
18.	धारा 157 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)	
19.	धारा 392(4) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती	
20.	धारा 392(4) के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर संग्रह	
21.	कुल देय कर (17-18-19-20)	

घोषणा

मैं,, (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)....., जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियाँ दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान:

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में प्रमाण पत्र का भाग ग (उपबंध-I) प्रत्येक नियोक्ता द्वारा या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।
2. कटौतीकर्ता कर्मचारी को भाग ग के (उपबंध-I) उपलब्ध कराने से पहले मद संख्या 2(ग) और 10(ज) में उपलब्ध विवरण सम्यक रूप से भरेगा।
3. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

धारा 393(1) के अधीन कर कटौती हेतु विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के संबंध में [सारणी:
क्रमांक 8(iii)]

क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?	हां नहीं		
1.	सकल वेतन			
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन			
2.	प्राप्त वेतन की कुल राशि			
3.	धारा 19 के अधीन कटौतियाँ			
	(क) धारा 19 के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]			
	(ख) धारा 19 के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]			
4.	धारा 19 [3(क)+3(ख)] के अधीन कुल कटौतियों की राशि			
5.	वेतन मद के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा "अन्य स्रोतों" के अधीन भुगतान की गई ब्याज आय			
7.	सकल कुल आय (5+6)			
8.	अध्याय VIII के अधीन कटौती			
		सकल राशि	कटौती योग्य राशि	
	(क) धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन स्कीम आदि के संबंध में कटौती।			
	(ख) धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती			
	(ग) धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती			
	(घ) धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			

	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि
(ड)धारा 133 के अंतर्गत कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			
(च)धारा 153(2)(ख) के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			
(छ)अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशि			
धारा ...			
धारा ...			
धारा ...			
(ज)किसी अन्य उपबंधों(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग अध्याय VIII			
9. अध्याय VIII के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग [8(क) + 8(ख) + 8(ग) + 8(घ) + 8(ड.) + 8(च) + 8(छ)]			
10. कुल कर योग्य आय (7-9)			
11। कुल आय पर कर			
12. धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो			
13. जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क			
14. स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%			
15. देय कर (11+13+14-12)			
16. धारा 157 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			
17. शुद्ध देय कर (15-16)			

घोषणा

मैं,, (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)....., जिसका स्थायी खाता क्रमांक है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में दिए गए प्रमाण पत्र का भाग ग (अनुलग्नक-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जा सकेगा।
2. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।